विकास में विषमता

भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़त का एक नकारात्मक पक्ष राज्यों का असमान विकास रहा है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक ने भी इस तथ्य को रेखांकित किया है. इस सूची में केरल, गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु शीर्ष पर हैं, तो उत्तर प्रदेश और बिहार निचले पायदान पर हैं, लेकिन कुछ अहम तथ्य भी विचारणीय हैं. औद्योगिक रूप से उन्नत गुजरात और महाराष्ट्र कुछ नीचे आये हैं. दक्षिणी राज्यों में विकास की गति बरकरार है और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओड़िशा और मध्य प्रदेश में भी उत्साहवर्द्धक परिणाम हैं. इस रिपोर्ट को तैयार करने में तीन मानदंडों को आधार बनाया गया है- शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर. हालांकि पूर्वी और उत्तरी राज्य भी विकास की राह पर हैं, पर दक्षिणी राज्यों की तुलना में इसे संतोषजनक नहीं माना जा सकता है. कुछ समय पहले स्टेट बैंक की ही वार्षिक रिपोर्ट के निष्कर्षों के साथ सूचकांक को देखें, तो जनसंख्या में असमानता भी एक चुनौती के रूप में हमारे सामने है. दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण के परिणामस्वरूप कुछ समय बाद अधिक उम्र के लोगों की आबादी ज्यादा हो जायेगी, जबकि उत्तर और पूर्व के राज्यों में युवाओं की संख्या बढ़ती जायेगी. इस आबादी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विकास प्रक्रिया को तेज करने की दरकार है. जनसंख्या का यह असंतुलन पलायन का भी एक कारण है और इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास सूचकांक की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ऑक्सफोर्ड की पहल पर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक पिछले साल जारी हुआ था. संयुक्त राष्ट्र के सूचकांक में आय एक महत्वपूर्ण कारक होता है, पर ऑक्सफोर्ड के अध्ययन में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को आधार बनाया गया था. इस कारण उसकी तुलना स्टेट बैंक की ताजा रिपोर्ट से करना तर्कसंगत है. संयुक्त राष्ट्र सूचकांक में भारत का स्थान विश्व में 130वां है और बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में 53वां (105 देशों में) है. बहुआयामी सूचकांक के राज्यवार विवरण के अनुसार, देश के सबसे निर्धनतम 50 जिले बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओड़िशा और उत्तर प्रदेश में हैं. इस आंकड़ों को विस्तार दें, तो देश के 100 सबसे गरीब जिलों में से 91 इन्हीं सात राज्यों में हैं. बिहार की आधी से अधिक तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की 40 फीसदी से अधिक आबादी कई स्तरों पर वंचना के न्यूनतम स्तर पर है. इस आंकड़े को अन्य राज्यों से मिला कर देखें, केरल में बहुआयामी वंचना एक फीसदी तथा दिल्ली, पंजाब, गोवा, सिक्किम और तमिलनाडु सरकार में चार से सात फीसदी है. जैसा कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है, आयुष्मान भारत जैसी पहलों से इस दशा में व्यापक सुधार की आशा है. यही संभावना अन्य केंद्रीय और राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों को लेकर जतायी जा सकती है. वंचना का यह हाल दशकों से चला आ रहा है, सो समाधान में भी समय लगना स्वाभाविक है.

दक्षिणी राज्यों में विकास की गति बरकरार है और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओड़िशा और मध्य प्रदेश में भी उत्साहवर्द्धक परिणाम हैं.

आखिर हम चिंतित क्यों नहीं होते

आशुतोष चतुर्वेदी
प्रधान संपादक, प्रभात खबर
ashutosh.chaturvedi
@prabhatkhabar.in

प्रदूषण को लेकर एक के बाद एक रिपोर्टें आ रही हैं, जिनमें भारत के शहरों की चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा किया जा रहा है. बावजूद इसके, हम इस ओर आंख मूंदे हैं. कोई चिंता नहीं जतायी जा रही है. समाज में भी इसको लेकर कोई विमर्श नहीं हो रहा है. अगले महीने आम चुनाव हैं, लेकिन उनमें भी यह कोई मुद्दा नहीं है और न ही पर्यावरण संरक्षण किसी पार्टी के घोषणापत्र में स्थान पाता है. आइक्यूएयर एयर विजुअल और ग्रीनपीस ने हाल में अध्ययन प्रकाशित किया है, जिसके अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित 10 शहरों में से सात भारत के हैं. इनमें पांच तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ही हैं. प्रदूषण स्तर के मामले में टेकनोलॉजी का क्षेत्र का हब माने जाने वाला गुरुग्राम प्रदूषण के मामले में दुनिया में टॉप पर है. रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे नंबर पर गाजियाबाद है. हरियाणा का फरीदाबाद चौथे, यूपी का नोएडा छठवें और राजधानी दिल्ली 11वें नंबर पर है. इस सूची में पटना सातवें नंबर पर और मुजफ्फरपुर 13वें स्थान पर है.

देश में प्रदूषण का स्तर कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस सूची में प्रदूषित शीर्ष 10 शहरों में से सात भारत के हैं. दुनियाभर के देशों की राजधानियों से तुलना करें, तो भारत की राजधानी दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित है. दिल्ली को लेकर लगातार रिपोर्टें आ रही हैं, लेकिन स्थिति जस-की-तस है. प्रदूषण के मामले में दिल्ली के बाद नंबर आता है बांग्लादेश की राजधानी ढाका और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का. इससे पता चलता है कि आप किस श्रेणी में हैं. ये आंकड़े किसी भी देश और समाज के लिए बेहद चिंताजनक हैं. सन् 2013 में दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहर में चीन के पेइचिंग समेत 14 शहर शामिल थे, लेकिन चीन ने कड़े कदम उठाये और प्रदूषण की समस्या पर काबू पा लिया. दरअसल, विकास के नाम पर औद्योगिक इकाइयों को धुआं फैलाने की खुली मिल जाती है. औद्योगिक इकाइयां, बिल्डर और खनन माफिया पर्यावरण संरक्षण कानूनों की खुलेआम अनदेखी करते हैं. औद्योगिक इकाइयों के अलावा वाहनों की बढ़ती संख्या, धुआं छोड़ती पुरानी डीजल गाड़ियां, निर्माण कार्य और टूटी सड़कों की वजह से भी हवा में धूल का उड़ना भी प्रदूषण की बड़ी वजह हैं. प्रदूषण को लेकर सख्त नियम हैं, लेकिन उनको लागू करने वाला कोई नहीं है. जनता से जुड़े इस विषय पर विस्तृत विमर्श होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी होता नजर नहीं आता है. सोशल मीडिया पर रोजाना कितने घटिया लतीफे चलते हैं, लेकिन पर्यावरण जागरूकता को लेकर संदेशों का आदान-प्रदान नहीं होता है. टीवी चैनलों पर रोज शाम बहस होती है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण पर कोई सार्थक चर्चा नहीं होती.

वायु प्रदूषण के शिकार सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग होते है. वायु प्रदूषण से हर वर्ष 70 लाख लोगों की जान चली जाती है, जिनमें छह लाख बच्चे हैं. दुनिया में औसतन सात में से एक बच्चा जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है. कई वर्षों तक प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण कैंसर, हृदय और श्वांस संबंधी बीमारियां हो जाती हैं और लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं. पर्यावरण और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत डेविड बॉयड का कहना है कि लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का बुनियादी अधिकार है और कोई भी समाज पर्यावरण की अनदेखी नहीं कर सकता है. दुनिया के 155 देश इस अधिकार को मान्यता देते हैं.

अपने देश में स्वच्छता और प्रदूषण का परिदृश्य वर्षों से निराशाजनक है. इसको लेकर समाज में जैसी चेतना होनी चाहिए, वैसी नहीं है. स्पष्ट है कि यह काम केवल केंद्र अथवा राज्य सरकार के बूते का नहीं है.

अपने देश में स्वच्छता और प्रदूषण का परिदृश्य वर्षों से निराशाजनक है. इसको लेकर समाज में जैसी चेतना होनी चाहिए, वैसी नहीं है. एक बात स्पष्ट है कि यह काम केवल केंद्र अथवा राज्य सरकार के बूते का नहीं है. इसमें जनभागीदारी जरूरी है. केवल सरकार या नगर निगमों के सहारे यह काम नहीं छोड़ा जा सकता है. प्रदूषण मुख्य रूप से मानव निर्मित होता है. इसलिए इसमें सुधार एक सामूहिक जिम्मेदारी है. साथ ही हमारी जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ रही है, उसके अनुपात में सरकारी प्रयास हमेशा नाकाफी रहने वाले हैं. हमें प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों में योगदान करना होगा. बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के हमारे अन्य अनेक शहरों की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है.

स्वच्छता और सफाई के काम को करने में सांस्कृतिक बाधाएं भी आड़े आती हैं. देश में ज्यादातर धार्मिक स्थलों के आसपास अक्सर बहुत गंदगी दिखाई देती है. इन जगहों पर चढ़ाये गये फूलों के ढेर लगे होते हैं. कुछेक मंदिरों ने स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से फूलों के निस्तारण और उन्हें जैविक खाद बनाने का प्रशंसनीय कार्य प्रारंभ किया है. झारखंड के विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ मंदिर के ऐसे फलों और बेलपत्रों से दुमका जिला प्रशासन ने 'बासुकीनाथ' अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया है. इसके लिए वहां के गांव की महिलाओं को प्रशिक्षित कर उनका 'सखी मंडल' नाम से ग्रुप तैयार किया गया है. इससे जहां इन फूल-बेलपत्रों को इधर-उधर फेंक देने से पैदा होने वाली गंदगी की समस्या खत्म हो गयी, वहीं फूलों का उपयोग भी होने लगा है और गांव की महिलाओं को नियमित रोजगार मिला है. इस ग्रुप में ज्यादातर महिलाएं आदिवासी हैं, जो इससे पहले बदबूदार 'हड़िया' (कच्ची शराब) बेच कर अपने घर चलाती थीं. मंदिर में उपयोग के बाद फेंक दिये जाने वाले फूल-बेलपत्रों से अब उनकी जिंदगी में खुशबू आयी है. इस अगरबत्ती की सालों भर बिक्री होती है और जिला प्रशासन की पहल पर फिल्म निर्माता-निर्देशक महेश भट्ट ने भी इसकी ब्रांडिंग की है. अन्य धर्म स्थलों को भी ऐसे उपाय अपनाने चाहिए. होता यह है कि हम लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करके सुंदर मकान तो बना लेते हैं, लेकिन नाली पर ध्यान नहीं देते और गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है. यही स्थिति कूड़े की है. हम रास्ता चलते कूड़ा सड़क पर फेंक देते हैं.

दलील दी जाती है कि बिहार के शहरों के प्रदूषण की एक बड़ी वजह जनसंख्या घनत्व है, लेकिन दुनिया के कई ऐसे शहर हैं जो उच्च जनघनत्व के बावजूद प्रदूषण की मुक्त हैं. सिंगापुर दुनिया का आठवां सबसे अधिक जन घनत्व वाला शहर है, लेकिन अपने बेहतरीन रखरखाव के कारण यह दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर है. विदेशी शहरों को तो छोड़े अपने देश में ही देखें कि इस सूची में दक्षिण का कोई शहर शामिल नहीं हैं. बिहार के शहरों के मुकाबले हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे शहर आबादी के लिहाज से बड़े हैं लेकिन योजनाबद्ध तरीके से विकास के कारण इन शहरों को प्रदूषण की समस्या से जूझना नहीं पड़ रहा है. लोगों में जब तक साफ सफाई और प्रदूषण के प्रति चेतना नहीं आयेगी, तब तक कोई उपाय कारगर साबित नहीं होंगे. यह चेतना सरकार और समाज को जागृत करनी होगी.

पिछले सप्ताह की कुछ जरूरी बातें

रविभूषण
वरिष्ठ साहित्यकार
ravibhushan1408@gmail.com

पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में दो बड़े मामलों- राफेल सौदे और अयोध्या विवाद पर सुनवाई हुई, जिसमें राफेल मामले पर हुई सुनवाई कई दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण है. आठ फरवरी, 2019 को 'दि हिंदू' अखबार ने राफेल पर जो पहली खोजी रिपोर्ट प्रकाशित की थी, वह पिछले सप्ताह की एक और रिपोर्ट के बाद एक नयी बहस में बदल चुकी है. 'दि हिंदू' ने जो नये दस्तावेज प्रकाशित किये हैं, वे प्रामाणिक हैं. सुप्रीम कोर्ट की पीठ राफेल सौदे के खिलाफ सभी याचिकाओं को खारिज करनेवाले फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही है. 'दि हिंदू' अखबार द्वारा किये गये नये-नये खुलासों के बाद अब सरकार कठघरे में है. पिछले सप्ताह 'दि हिंदू' में प्रकाशित दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाया गया था. पिछले सप्ताह महान्यायवादी (अटार्नी जनरल) केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को इन दस्तावेजों को चुराये जाने की बात कही. दो दिन बाद 8 मार्च को उन्होंने उसका अर्थ स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन में मूल कागजात की फोटोकॉपी का इस्तेमाल किया है. महान्यायवादी ने इसका खंडन किया कि रक्षा मंत्रालय से फाइलों की चोरी हुई है. बाद में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी वेणुगोपाल की टिप्पणी का स्पष्टीकरण किया कि फाइलों की फोटोकॉपी की गयी है.

रक्षा मंत्रालय से कागजात की चोरी हो या उसकी फोटोकॉपी करायी जाये, यह बेहद गंभीर मामला है. 'दि हिंदू' ने राफेल से जुड़े दस्तावेजों को प्रकाशित कर सरकार के समक्ष संकट खड़ा कर दिया है. महान्यायवादी इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करनेवालों को सरकारी गोपनीयता कानून और अदालत की अवमानना कानून के तहत दोषी कह रहे हैं. इस रिपोर्ट को छापने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचने की बात कही जा रही है और इसे 'आपराधिक मामला' भी बताया जा रहा है. राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचने की बात तो दूर है, बड़ा सवाल है कि रक्षा मंत्रालय में फाइलें सुरक्षित क्यों नहीं हैं? वेणुगोपाल ने 'सरकारी गोपनीयता अधिनियम' (ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट) के तहत मुकदमा चलाने की भी बात कही है और चुराये गये दस्तावेजों को रिकॉर्ड में न लेने की बात भी कोर्ट से कही है. उन्होंने दो प्रकाशनों और एक वकील के विरुद्ध 'आपराधिक कार्रवाई' की भी बात कही. उसी समय 6 मार्च, 2019 को 'दि हिंदू' प्रकाशन समूह के चेयरमैन एन राम ने कहा था कि राफेल सौदे से जुड़े दस्तावेज जनहित में छापे गये हैं और उन्हें मुहैया करनेवाले गुप्त सूत्रों के बारे में 'दि हिंदू' अखबार से कोई भी व्यक्ति सूचना नहीं पा सकेगा. दस्तावेज इसलिए प्रकाशित किये गये, क्योंकि राफेल सौदे से जुड़े ब्योरे दबाकर और छुपाकर रखे गये थे. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(ए) के अनुसार एन राम ने खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से सुरक्षित माना और आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 (ए)(1) और 8 (2) के द्वारा भी सुरक्षित कहा.

राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में सरकार ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकती. यह लोकतंत्र विरोधी कानून है. पत्रकारों में डर पैदा नहीं किया जा सकता. देश में निर्भीक और साहसी पत्रकार अब भी हैं.

एक ओर जनहित है, तो दूसरी ओर राष्ट्रहित और सुरक्षा हित की बात कही गयी है. प्रेस की स्वतंत्रता का प्रश्न भी प्रमुख है. खोजी पत्रकारिता आज कहीं अधिक महत्व रखती है. महान्यायवादी की टिप्पणी की 7 मार्च को 'एडिटर्स गिल्ड' ने निंदा की. पत्रकारों पर स्रोत बताने का दबाव नहीं डाला जा सकता. इसी के बाद 8 मार्च को दस्तावेज के चुराये जाने के अपने पूर्व कथन के विपरीत यह कहा गया कि दस्तावेज की फोटोकॉपी की गयी है. जिस सरकारी गोपनीयता अधिनियम का हवाला दिया गया, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका भय दिखाकर पत्रकारिता को मुखर और सत्यनिष्ठ होने से रोकना है. एन राम ने बोफोर्स घोटाले का भी पर्दाफाश किया था. महान्यायवादी ने जिस 'ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट' की बात कही है, वह है क्या?

सेवानिवृत्त मेजर जनरल वीके सिंह ने जर्नल 'द युनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया' की संख्या 575 (जनवरी-मार्च 2009) में 'द ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 : ए ट्रबल्ड लेगेसी' शीर्षक से अपने लेख में विस्तार से इस एक्ट पर विचार किया है. ब्रिटिश सरकार ने अपनी सत्ता कायम रखने और अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए यह कानून बनाया था. स्वतंत्र भारत में अनेक ब्रिटिश कालीन कानून मौजूद हैं, जिनमें एक यह भी है. कई आयोगों और समितियों ने समय-समय पर इस कानून को समाप्त करने की सिफारिशें की थीं, पर स्वतंत्र देश की सरकारों ने इसे समाप्त नहीं किया. साल 1952 में 23 सितंबर को न्यायमूर्ति जीएस राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रेस आयोग ने भी इस कानून को 'साम्राज्यवादी परिपाटी की कड़ी' कहा था और समाप्त करने की सिफारिश की थी. द्वितीय प्रेस आयोग के प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केके मैथ्यू ने भी 80 के दशक के आरंभ में इसको समाप्त करने की सिफारिश की थी. नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी किसी ने भी यह कानून समाप्त नहीं किया. यह एक औपनिवेशिक कानून है, जिसकी स्वतंत्र भारत में कोई आवश्यकता नहीं है. वेणुगोपाल ने 'दि हिंदू' में प्रकाशित राफेल रिपोर्ट पर इसी कानून की बात कही है.

राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में सरकार इस कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकती. यह लोकतंत्र विरोधी कानून है. इसके जरिये प्रेस को नियंत्रित करने की पहल पूरी नहीं हो सकेगी. एन राम और 'एडिटर्स गिल्ड' ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. पत्रकारों में डर पैदा नहीं किया जा सकता. देश बड़ा है. यहां निर्भीक और साहसी पत्रकार अब भी हैं.

आपके पत्र

मध्यस्थता पैनल की कड़ी चुनौती

अयोध्या जमीन विवाद को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता का फॉर्मूला अपनाया है, वह उचित है. इसके लिए तीन सदस्यीय पैनल बनायी गयी है, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एफएम कलीफुल्ला कर रहे हैं. उनके साथ आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू को भी मध्यस्थ पैनल में शामिल किया गया है. कोर्ट का मानना है कि दो महीने में सभी पक्षों की आपसी सहमति से ही राम मंदिर विवाद का हल निकाला जा सकता है और इससे समाज के किसी भी वर्ग को कोई परेशानी नहीं होगी. लोकसभा चुनाव में अब कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर वोट नहीं बटोर सकती. एक तरह से मध्यस्थता टीम के लिए यह एक कठिन चुनौती है. चूंकि विषय कानूनी प्रक्रिया के साथ-साथ आस्था और विश्वास का है तो मध्यस्थता टीम को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. उम्मीद है कि टीम इस बार सकारात्मक परिणाम कोर्ट को सौंपेंगे.

शुभम गुप्ता, नावागढ़, धनबाद

नीयत पर सवाल खड़े न हों

कहते हैं बार-बार बोला गया झूठ भी सच लगने लगता है. खबरों की खिड़कियों पर अफवाहों के कैक्टस उगेंगे, तो सवालों के कांटे चुभेंगे ही. बेशक बालाकोट पर जवाबी कार्रवाई में बिखरी लाशें गिनना फौज का काम नहीं है. फिर भी सियासत के आसमान में अफवाहों के परिंदे उड़ेंगे, तो लोग पूछेंगे. जमीन अपनी हो या परायी, जब से होश संभाला है, नदियों में नाव पलटने से लेकर आसमानी हादसों तक हलाक हुए लोग हर बार गिने गये हैं. निशाना ठिकानों पर लगे, तो सजा कितने दहशतगर्दों को मिली, यह बताने में हर्ज भी क्या है? बेशक हम चुन-चुन कर दहशतगर्दों को ही मारने गये थे, वरना हमारी दुश्मनी ईंट-पत्थर की दीवारों से तो नहीं थी. सच का सबूत मांगना जमाने का पुराना दस्तूर है. हमारी फौज की बहादुरी के चर्चे जरूर हों, मगर राजनीति इस कदर न हो कि नीयत पर सवाल खड़े हो जाएं.

एमके मिश्रा, रातू, रांची

नागरिक चेतना की कमी है

स्मार्ट सिटी योजना के तहत राजधानी रांची में तीन मार्च से शुरू की गयी साइकिल शेयरिंग सेवा की कुछ असामाजिक तत्व धज्जियां उड़ा रहे हैं. वे लोग साइकिल को लेकर क्षतिग्रस्त रहे हैं. स्मार्ट सिटी योजना के तहत वर्तमान सरकार कदम उठा रही है, मगर हमारे ही शहर के कुछ लोग उस कदम में बाधक बन गये हैं. किसी जिले को स्मार्ट बनाने से पहले उस जिले में रह रहे निवासी को उसके योग्य बनाना भी जरूरी है. किसी भी जिले की आधी से ज्यादा आबादी में सिविक सेंस नहीं होता और यह सिविक सेंस सिर्फ पढ़ने से नहीं, बल्कि घर के संस्कारों से भी आता है. झारखंड राज्य में रांची को सबसे विकसित और शिक्षित जिले के रूप में देखा जाता है, परंतु चंद लोगों के के कारण पूरे जिले की बदनामी हो रही है. सरकार को इन लोगों की शिनाख्त कर इन पर कार्रवाई करनी चाहिए.

अभिषेक मोहन, रांची

बोधि वृक्ष

कृष्ण की शरण

मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए, जिस धर्म से अंततः भगवद्भक्ति हो सके. एक मनुष्य समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्णभावनामृत तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं. जिस कर्म से कृष्णभावनामृत की पूर्णावस्था न प्राप्त हो सके, उस कर्म से भक्त को बचना चाहिए. मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे. इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि उसका जीवन-निर्वाह कैसे होगा. यह तो कृष्ण की जिम्मेदारी है और कृष्ण ही इसको संभालेंगे. मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे. पूर्ण कृष्णभावनाभावित होकर भगवद्भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह मनुष्य दुख से मुक्त हो जाता है. अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं- कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति; लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है, वह सर्वोच्च योगी है. अनन्यभाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है. कर्मयोगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्धभक्त ही सर्वश्रेष्ठ हैं. मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाये, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है. धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यानयोग आदि जैसे शुद्ध करनेवाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो मनुष्य कृष्ण के शरणागत हो जाता है, उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है. कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह अपना व्यर्थ समय गंवाने से बच जायेगा. इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है. जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर छवि से आकृष्ट होता है, वह भाग्यशाली है.

स्वामी प्रभुपद

कुछ अलग

अक्ल से परे के संबंध

आलोक पुराणिक
वरिष्ठ व्यंग्यकार
puranika@gmail.com

मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि क्या टीवी धारावाहिकों के चलते विवाह से परे संबंधों को बढ़ावा मिल रहा है. न्यायालय ने इस संबंध में विशेषज्ञों की एक शोध समिति के गठन का सुझाव भी दिया है. विवाह के परे के संबंधों का ताल्लुक टीवी धारावाहिकों से क्या है, इसका पूरा शोध हो जाये, तो कई सवालों के जवाब मिल जायेंगे. वैसे टीवी धारावाहिकों और फिल्मों में यह लिखकर आता है कि इनके सभी पात्र, घटनाएं वगैरह काल्पनिक हैं, उन पर यकीन ना करें. जैसे कोई पात्र तमाम टीवी धारावाहिकों और फिल्मों में बहुत ही संस्कारी दिखते हैं. पर उनके संस्कार काल्पनिक हैं, ऐसा उन पर लगे कई मीटू वाले आरोप बताते हैं.

विवाह से परे संबंधों का टीवी से रिश्ता-इस पर शोध हो, पर अक्ल से परे के संबंधों का टीवी से क्या रिश्ता है, इस पर तो जरूर शोध होना चाहिए. टीवी दर्शक भूतों को ज्यादा पसंद करते हैं या विवाह से परे संबंधों को. चैनल आये दिन बताते रहते हैं कि फलां किले में भूत हैं. फलां सड़क पर रात को बारह बजे भूत आता है. लोग देखे जाते हैं, देखते ही जाते हैं. कई टीवी सीरियल आकर निकल लिये, पर भूतों की टीआरपी ना खत्म हुई. बड़ी-बड़ी अभिनेत्रियों की लोकप्रियता खत्म हो गयी, पर भूत कतई वैसे ही लोकप्रिय बने हुए हैं, जैसे कई सालों पहले थे. भूतों की लोकप्रियता का राज क्या है, इस पर एक कमेटी बननी चाहिए. भूतों पर जनविश्वास कम ना हो पाये, तो जनहितकारी भूतों को बढ़ावा देने के प्रयास होने चाहिए.

कुछ मामले कई बार समझ में नहीं आते. जैसे कि जनता अपने नेताओं का भरोसा नहीं करती है, पर भूतों का भरोसा कर लेती है.

शोध समिति जब विवाह से परे संबंधों के अध्ययन करेगी, तो पक्का है कि बाद में इनकी रोकथाम के लिए भी कोई अभियान छेड़ा जायेगा. भविष्य में विवाहेतर संबंधों की रोकथाम से जुड़े विज्ञापनों का स्कोप दिख रहा है. कई रोजगारों का सृजन भी होगा. विवाहेतर संबंध रुक पायेंगे या नहीं, यह अलग विषय है, पर रोजगार-सृजन तय है. एकता कपूर के सीरियल दिखा रहे होंगे कि राहुल ने संजना का साथ छोड़कर रीटा का हाथ थामने की कोशिश की, पर रीटा पहले ही विवान के साथ जा चुकी थी, विवान संजना का दूसरा प्रेमी था. इस सीरियल के ब्रेक में इश्तिहार आयेगा- दिल पर रखें काबू, वरना ठुकेंगे बाबू.

मल्टी-अफेयरवान सीरियल भी रोजगार पैदा करेंगे और उन्हें रोकने को प्रतिबद्ध इश्तिहार भी रोजगार पैदा करेंगे. सरकारें ऐसे रोजगार पैदा करने में एक्सपर्ट होती हैं. शराब से कितनी आय बढ़ानी है, यह टारगेट तय करके उन्हें हासिल करने में बहुतों को रोजगार मिलता है, फिर शराबबंदी के इश्तिहार तैयार करने में बहुतों को रोजगार मिल जाता है. सरकार शराब से कमाती है, फिर उससे हासिल रकम का एक हिस्सा शराबबंदी के इश्तिहारों में खर्च करके डरती भी है कि कहीं इन इश्तिहारों का असर सच में ही ना हो जाये.

देश दुनिया से

यूरोपीय महिलाओं के प्रति हिंसा में उभार

ऑर्गनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप (ओएससीई) ने महिलाओं की स्थिति से जुड़ी एक रिपोर्ट बताया है कि महिलाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा की जा रही है. रिपोर्ट के लिए पूर्वी यूरोपीय देशों की 18-74 साल की उम्र की तकरीबन 15 हजार महिलाओं को शामिल किया गया था. लगभग 70 फीसदी महिलाओं का कहना था कि वे 15 साल की उम्र से ही किसी न किसी प्रकार की हिंसा झेल रही हैं, जबकि 30 फीसदी महिलाओं ने बताया कि उनके साथ ऐसी घटनाएं पिछले एक साल के दौरान हुई हैं. रिपोर्ट के अनुसार, 23 फीसदी महिलाओं को किसी करीबी ने ही शारीरिक व यौन हिंसा का शिकार बनाया था, वहीं 18 फीसदी महिलाओं के साथ ऐसा करनेवाले अनजान लोग थे. महिलाओं की 31 फीसदी आबादी के साथ शारीरिक हिंसा करने वाले लोग उनके परिवार से ही जुड़े हुए थे. वहीं, 60 फीसदी महिलाएं अपने पार्टनर के कारण मनोवैज्ञानिक हिंसा का शिकार हुई हैं. किसी भी तरह की हिंसा का शिकार महिलाओं में ज्यादातर गरीब तबके की हैं. महिलाओं और लड़कियों के साथ होनेवाली हिंसा मानवाधिकारों का हनन है और महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है.

- ओएससीई

कार्टून कोना

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है